

बिहार सरकार
कृषि विभाग

Mail/Fax

पत्र संख्या-3/कृ०बजट आवंटन-24/2013-110 (आवंटन) /कृ०, पटना, दिनांक 20-08-2013

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा/खगड़िया।

विषय : दरभंगा एवं खगड़िया जिला में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मद में बकाये दावे के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल 145.85666 लाख रुपये (एक करोड़ पैतालिस लाख पचासी हजार छः सौ छियासठ रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल 1,45,85,666 (एक करोड़ पैतालिस लाख पचासी हजार छः सौ छियासठ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-3958 दिनांक-12.08.2013 दरभंगा एवं खगड़िया जिला में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मद में बकाये दावे के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल 145.85666 लाख रुपये (एक करोड़ पैतालिस लाख पचासी हजार छः सौ छियासठ रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल 1,45,85,666 (एक करोड़ पैतालिस लाख पचासी हजार छः सौ छियासठ रुपये) मात्र राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹1,45,85,666 (एक करोड़ पैतालिस लाख पचासी हजार छः सौ छियासठ रुपये) में से जिला पदाधिकारी, दरभंगा को ₹93,38,878 (तिरानवे लाख अड़तीस हजार आठ सौ अठहत्तर रुपये) एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया को ₹52,46,788 (बावन लाख छियालिस हजार सात सौ अठारसी रुपये) मात्र आवंटित की जाती है।

3. यह राशि बजटशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00- लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग सं०-1-उपशीर्ष-0103-बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना-विपत्र कोड-P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-56 83, विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2013-14 के लिए उपबंधित राशि 100.00 करोड़ रु० (एक अरब रु०) मात्र से विकलनीय होगा।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-7857 दिनांक-31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

5. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

रिजर्व

विश्वासभाजन

(155/20/8/13)
(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

110 (आवटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 20-08, 2013

- प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15/25/8/13)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

110 (आवटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 20-08, 2013

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना / संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त / निदेशक, पी० पी० एम०, बिहार, पटना / संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) कृषि विभाग बिहार, पटना / संबंधित प्रमण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक / उप कृषि निदेशक, (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग / कृषि निदेशालय, बिहार, पटना / उप कृषि निदेशक, (बीज) कृषि विभाग, बिहार, पटना / नोडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, कृषि विभाग-सह-उप कृषि निदेशक, (सांख्यिकी) / प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय / निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना / आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

रिजवा

(15/25/8/13)
सरकार के संयुक्त सचिव।